निग - 900 - PBR/16

(65)

प्र.क. R PBR/2016

प्रस्तुति दिनांक /03/2016

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प इन्दौर

नागुलाल पिता श्री भागीरथ गर्ग मृत तर्फे वारिसान

1. मोहनलाल दत्तक पिता स्व. श्री नागुलाल गर्ग

निवासी – ग्राम रिंगनोद तह. सरदारपुर जिला धार ....प्राथी/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

भिलोट पिता श्री अर्जुन भील मृत तर्फे वारिसान

1. सालम पिता स्व. भिलोट भील

निवासी–ग्राम लिमटीपाड़ा (रिंगनोद) तह. सरदारपुर

जिला धार म.प्र. ....प्रतिप्राथी/विपक्षी

डी.के. पारसी (एड.) 15-3-16

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

महोदय,

इसमें अधीनस्थ अपर कलेक्टर जिला धार द्वारा प्र.क. 138/अपील/1984–85 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 09.10.1985 से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर प्राथी द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 900–पीबीआर/16 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–12–2016	आवेदक की ओर से श्री ओ0पी0 शर्मा, एवं श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषकगण उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 9–10–85 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 9–10–85 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी दिनांक 15–3–16 को लगभग 30 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जो कि अत्यधिक विलंबित कार्यवाही है । आवेदक की ओर से विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें विलम्ब का कारण अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश की जानकारी नहीं दिया जाना एवं आवेदक के पिता की मृत्यु हो जाना बतलाया गया है, जो कि विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	